## कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

| | |
|---|---|
| उपस्थित | **श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।** |
| प्रार्थी | **सर्वश्री लकी ट्रेडर्स, सी-55, गाँधी नगर, मुरादाबाद ।** |
| प्रार्थना पत्र संख्या व दिनांक | **026 / 12, 29.03.2012** |
| प्रार्थी की ओर से | **कोई उपस्थित नहीं हुआ ।** |

## उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

सर्वश्री लकी ट्रेडर्स, सी-55, गाँधी नगर, मुरादाबाद द्वारा दिनांक 29.03.2012 को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र दाखिल किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं पर वैट कर की दर सूचित करने का अनुरोध किया गया है :-

1. एल्यूमिनियम पार्ट्स
2. एल्यूमिनियम फ्लेट (पट्टा)
3. कापर फ्यूज वायर
4. रबर मैट (बिजली घर के लिए)
5. एच0टी0 टेप (बिजली हेतु)
6. इम्पायर टेप (बिजली हेतु)

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु प्रार्थी को कई नोटिस भेजी गयी, कोई उपस्थित नहीं हुआ । नैसर्गिक न्याय के हित में पुन: दिनांक 18.06.2014 के लिए नोटिस भेजी गई । उक्त नोटिस की तामीली के उपरान्त भी, कोई उपस्थित नहीं हुआ ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन मुरादाबाद द्वारा पत्र संख्या-171, दिनांक 20.04.2012 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि व्यापारी उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत विधिमान्य रूप से '' Govt. Contractor तथा जनरल आर्डर सप्लायर्स '' के लिए पंजीकृत हैं । व्यापारी द्वारा वित्तीय वर्ष 2010-11 तक स्टेशनरी / रजिस्टर की आपूर्ति सरकारी विभागों को की गयी है । वित्तीय वर्ष 2011-12 में इलेक्ट्रिकल गुड्स की भी आपूर्ति की गयी है अभी तक इस बिन्दु पर कोई अन्तिम / अनन्तिम कर निर्धारण की कार्यवाही हेतु नोटिस जारी नहीं हुआ है ।

करदेयता के बिन्दुओं पर आख्या :-

(i) एल्यूमिनियम पार्ट्स :- एल्यूमिनियम पार्ट्स अनुसूची-I, II, III एवं IV में शामिल नहीं है इसलिए इस पर अनुसूची-V के अन्तर्गत 12.5% + 1% अतिरिक्त करदेयता है ।

(ii) एल्यूमिनियम फ्लेट (पट्टा) :- एल्यूमिनियम फ्लेट '' लौह एवं अलौह धातुएं एवं मिश्रित धातु, जैसे-एल्यूमिनियम, कापर, जिंक एवं इनके एक्सटूजन्स जिसमें सभी आकार एवं माप के राड, ट्यूब्स, एंगिल्स, चैनल्स तथा सेक्शन्स सम्मिलित हैं तथा रोल्ड प्रोडक्ट्स (जिसमें सभी आकार एवं माप के शीट्स, प्लेट्स एवं सर्किल्स सम्मिलित हैं) '' के अन्तर्गत आता है अत: इस पर 4% + 1% अतिरिक्त दर से

करदेयता है।

(iii) कापर फ्यूज वायर :- कापर फ्यूज वायर HRC फ्यूज से भिन्न है अत: अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं है इसलिए अनुसूची-V के अन्तर्गत इस पर 12.5% + 1% की दर से करदेयता है।

(iv) रबर मैट, एच0 टी0 टेप (बिजली हेतु) इम्पायर टेप (बिजली हेतु) :-अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं है अत: अनुसूची-V के अन्तर्गत इस पर 12.5% + 1% की दर से करदेयता है।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि प्रार्थी द्वारा 06 वस्तुओं के सन्दर्भ में कर की दर पूछी गयी है। एल्यूमिनियम फ्लेट (पट्टा) एल्यूमिनियम रोल्ड प्रोडक्ट है। यह उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-48 पर वर्गीकृत है। इस पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए। अन्य 05 वस्तुएं उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं हैं अत: इन पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तर्कों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, मुरादाबाद जोन मुरादाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं विधि-व्यवस्था का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा जिन 06 वस्तुओं के सम्बन्ध में कर की दर पूछी गयी है उनमें से एल्यूमिनियम फ्लेट (पट्टा) उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए के क्रमांक-48 पर अंकित प्रविष्टि '' Ferrous & non-ferrous metals & alloys, non-metals, such as aluminium, copper, zinc & extrusions of those including Rods,tubes,angles,channels and sections of all size and measurement and rolled products (including sheets,plates and circles of all size and measurement) ; Wires and Wire drawings " के अन्तर्गत आता है अत: इस पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी। एल्यूमिनियम पार्ट्स, कापर फ्यूज वायर, रबर मैट, एच0टी0 टेप एवं इम्पायर टेप उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-I, II, III एवं IV में वर्गीकृत नहीं हैं अत: इन पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 07 जुलाई, 2014

ह0 / 07.07.2014

**(मृत्युंजय कुमार नारायण)**
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।